न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, पुष्पा सत्यानी, आर.ए.एस

अपील संख्याः 26/19
(जीसीएमएस संख्या 2019/00297)

निर्णय दिनांक 22-2-21

1. आईदान पुत्र धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी रावडिया नोखा हाल चक 3 एमजीडब्ल्यूएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजुवाला

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला दिनांक 23—07—2019

उपस्थितः

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के निर्णय व डिक्री दिनांक 23—07—2019 जिसके द्वारा स्टेट का वाद स्वीकार किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 3 एमजीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 100/13 में किला नम्बर 12 तादादी 12 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी भूमि है जिस पर अपीलांट का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:23:51 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आज दिनांक तक निरन्तर कब्ज काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर अपीलांट परिवार सहित ढाणी बनाकर निवास कर रहा है तथा मौके पर ग्वार व हरे चारे की फसल खड़ी है। पूर्व में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट की भूमि को बैगर सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना अराजीराज दर्ज करने के फलस्वरूप अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, न्यायालय हाजा उक्त अपील दिनांक 02–03–2016 को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई थी कि वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए, वाद की प्रक्रिया को अपनाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा न्यायालय हाजा के निर्देशों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि को अराजीराज दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। जबकि संबंधित पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 16–08–2016 में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि मौके पर कोई खनन की निशानदेही नहीं पाई गई है तथा किला नम्बर 5 व 6 में बारानी काश्त है। इसप्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर अकृषि कार्य अर्थात खनन का कार्य नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में पूर्व में भी जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें भी यह माना गया था कि मौके पर वर्तमान में रकबे पर खनन कार्य नहीं हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व धारा 177 के प्रावधानों व न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 02–03–2016 की पालना नहीं की है। जोकि अदालत मातहत के लिये बाध्यकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद में ना तो तनकी कायम की ना ही साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। स्टेट की तरफ से जो दावा प्रस्तुत किया गया है वह दावे की श्रेणी में नहीं आता है, इस बाबत् अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए दावे को उक्त प्रार्थना पत्र के मद्देनजर खारिज करने की मांग भी की गई थी, परन्तु अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का कोई विवेचन अंकित किये बिना, व उक्त प्रार्थना पत्र [illegible]ीत किये बिना आदेश जैर अपील पारित करने में [illegible] की गई है। अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि न तो पूर्व में न आज दिनांक तक किसी प्रकार

[illegible] राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:23:52 IST
Reason: SelfAttested

का कोई खनन का कार्य किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तथ्यों के विपरीत जाकर मात्र संबंधित तहसीलदार के कथन पर विश्वास करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के समक्ष तहसीलदार राजस्व खाजूवाला ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 व 177 के तहत प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 09—07—2014 को स्टेट का दावा स्वीकार किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर उक्त अपील न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 02—03—2016 को अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला को रिमाण्ड किया गया। उक्त रिमाण्ड प्रकरण को अदालत मातहत द्वारा दिनांक 23—07—2019 को निर्णित करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए यह अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार अवैध खनन का कार्य किया गया है, साथ ही यह भी अभिलिखित किया गया है कि उपखण्ड क्षेत्र खाजुवाला में अवैध खनन कर जिप्सम बेचान एक व्यवसाय बन चुका है तथा इससे अवैध व्यवसाय के रूप में खनन माफिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के उक्त विवेचन के विपराज़ दौराने बहस यह कथन किया गया कि उनके द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर कभी भी अवैध खनन नहीं किया गया है [illegible] कि अपीलांट की खातेदारी भूमि पर मौके पर ग्वार की फसल खड़ी है, परन्तु इस संबंध

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:23:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

में खसरा गिरदावरी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी अपीलांट द्वारा ऐसा कोई राजस्व दस्तावेज न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि अपीलांट के इस कथन को बल मिलता हो कि उसके द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर अवैध खनन नहीं करते हुए कृषि कार्य किया गया हो। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से यह तो साबित है कि अपीलांट ने अपनी खातेदारी भूमि अर्थात कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करते हुए अवैध खनन का कार्य किया है। जिससे कृषि प्रयोजनार्थ भूमि की किस्म में परिवर्तन करते हुए कृषि से अकृषि कार्य में हुआ है। अपीलांट का उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपीलांट मात्र तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

6. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं एवं उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला का आदेश दिनांक 23—07—2019 यथावत बहाल रखा जाता है।

7. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22-2-21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुष्पा सत्यानी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:23:52 IST
Reason: SelfAttested